संख्या- 22 /2018/ 1218/अडतीस-7-2018-106नरेगा/2016टीसी

प्रेषक,

विजय बहादुर वर्मा,
उप सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 18 जुलाई, 2018**

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम-2005 एवं उसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशिका में निहित व्यवस्थानुसार भारत सरकार के पत्र संख्या- जे-14037/02/2018-आरई-1(361335) एसएल.नं0 63, दिनांक: 27-06-2018 द्वारा निर्गत केन्द्रांश प्रथम किश्त की चतुर्थ भाग की धनराशि रू0 9400/- लाख (रूपये चौरानवे करोड मात्र) सामग्री अंश एवं रू0 600/- लाख (रूपये छः करोड मात्र) प्रशासनिक मद में इस प्रकार कुल धनराशि रू0 1000/- लाख (रू0 एक अरब मात्र) एवं इसके समतुल्य 1/3 अंश राज्यांश की धनराशि 3133.33333/- लाख (रूपये इकतीस करोड तैंतीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस मात्र) इस प्रकार कुल धनराशि रू0 13133.33333/- लाख (रूपये एक अरब इकतीस करोड तैंतीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस मात्र) को वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित बजटीय व्यवस्थानुसार व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाने वाला व्यय अनुमन्य न होगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते मे रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व प्रशा0 विभाग का होगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/ अधिनियम में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित मदों में तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार पत्र/स्वीकृत आदेश दिनांक 27-06-2018 की शर्तों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।
7. धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-135/दस-2018-231/2018, दिनांक: 30 मार्च, 2018 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है।अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9. वित्तीय नियमों के अनुपालन हेतु अपर आयुक्त(वित्त), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक लेखानुदान की अनुदान संख्या-13 के लेखा शीर्षक "4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-102-सामुदायिक विकास-02-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना-0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना(के-60/रा.40-के+रा)-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या -यूओ-ई-2-760 /दस-18 दिनांक 13-07-2018 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

विजय बहादुर वर्मा
उप सचिव।

<u>संख्या- 22 /2018/1218(1)/अड़तीस-7-2018 तददिनांक:-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, एमजीनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार , कृषि भवन, नई दिल्ली ।
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. अपर आयुक्त (मनरेगा/वित्त), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय, उ0प्र0, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. राज्य योजना आयोग-1/2
11. ग्राम्य विकास अनुभाग-3
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से

विजय बहादुर वर्मा
उप सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है।इ .अत .स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।